

कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया ।

ई-मेल- dahoararia@gmail.com वेबसाइट- ahd.bih.nic.in (दूरभाष) मोबाईल नं०- 9472128403

पत्रांक:-/प० पा० दिनांक:-..... ।

प्रेषक:-

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
अररिया ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन समर्पक विभाग बिहार पटना ।

विषय:- पुर्न निविदा प्रकाशन कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित जिला पदाधिकारी, अररिया से संचिका पर मिले निदेश के आलोक में बाढ़ सहाय्य 2017-18 में पशु चारा (भुसा/कुट्टी) आपूर्तिकर्ता एवं दर निर्धारण से संबंधित पुर्न निविदा प्रकाशन किया जाना है ।

इस पत्र के साथ पुर्न निविदा का प्रारूप छः प्रति तथा सी० डी० आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही हैं ।

अतः अनुरोध है कि इसे प्रकाशित कराने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक:-

निविदा का प्रारूप छः प्रति ।

सी०डी० -01

विश्वासभाजन

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
अररिया ।

ज्ञापांक:- 903/ प० पा० अररिया दिनांक:- 11.7.2017 ।

प्रतिलिपि:- निदेशक पशुपालन विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।


प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर पशुपालन विभाग बिहार को विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- प्रभारी NIC अररिया को जिला वेबसाईट पर उपलोड करने हेतु प्रेषित ।


जिला पशुपालन पदाधिकारी,
अररिया ।

बिहार, सरकार
स मा ह र णा ल य, अररिया
(जिला पशुपालन कार्यालय)
पुर्न निविदा संख्या - 02

संभावित बाढ़ 2017 से निपटने हेतु सुखा पशु चारा (गेहूँ का भूसा/कुट्टी (पुआल) की आवश्यकता को दृष्टगत करते हुए दिनांक:- 05.07.2017 तक मुहर बन्द निविदा आमंत्रित की गई थी। दिनांक:- 06.07.2017 को जिला आपदा क्य समिति के द्वारा प्राप्त निविदाएँ, निविदा शर्तों को पुरा नहीं करने के कारण रद्द कर, पूनः निविदा आमंत्रण का प्रस्ताव दिया गया, तत्पश्चात् पशु चारा के दर निर्धारण से संबंधित इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से दिनांक:- 20.07.2017 के 1:00 बजे अपराह्न तक निविदा जिला पशुपालन कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं। निविदा उसी दिन दिनांक:- 20.07.2017 के अपराह्न 4:00 बजे जिला पदाधिकारी, अररिया के अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्य समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा की शर्तें जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया के सुचना पट, विभागीय वेबसाईट www.ahd.bih.nic. एवं जिला पदाधिकारी, अररिया के <http://araria.bih.nic.in> पर देखा जा सकता हैं।


10.7.17

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
अररिया।


10.7.17

जिला पदाधिकारी
अररिया

निविदा की शर्तें निम्न हैं:-

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बंद लिफाफा में होगा जिस पर गेहूँ का भूसा/कुट्टी(पुआल) हेतु निविदा अंकित होगा।
2. रुपये 5000/का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में जो जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया के पदनाम से एवं अररिया में देय होगा। असफल निविदा दाता को अग्रधन का ड्राफ्ट उसी समय लौटा दिया जायेगा। तथा सफल निविदादाता की राशि को निविदा की अवधि तक रोक कर रखी जायेगी।
3. PAN कार्ड की छाया प्रति।।
4. सामग्री का नमूना 200gm पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में सील बंद हो, उसपर नाम, पता, एवं मोबाईल न0 अंकित हो।
5. निविदादाता या उनके प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
6. निविदा समिति द्वारा लिए गये निर्णय अंतिम होगा।
7. वित्तीय निविदा में दर साफ-साफ लिखा होना चाहिए। कटिंग या ऑवर राईटिंग मान्य नहीं होगा। गेहूँ का भूसा एवं कुट्टी का दर अलग-अलग अंकित होना चाहिए।
8. सामग्री की आपूर्ति अररिया जिलान्तर्गत विभिन्न अंचलों के पशु शिविर में आपूर्ति की जायेगी इसके लिए परिवहन मद में राशि अलग से देय नहीं होगा।
9. सफल निविदादाता का नाम एवं आपूर्ति दर आदि सभी प्रखण्ड के अंचलाधिकारी को भेजा जायेगा।
10. सफल निविदादाता को 7 दिनों के अंदर जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया से एक एकरारनामा करना होगा जिसमें निविदा की सभी शर्तें तथा निविदा समिति के निर्णय वर्णित होंगे।
11. सभी अंचलों में निर्देष्ट स्थान तक परिवहन के दौरान क्षति के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेवार होंगे।
12. भूसा सूखा कवक रहित उच्च गुणवत्ता का होगा और उत्पादन से छः माह ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नमी 10% से अधिक नहीं होगी।
13. किसी भी स्तर पर निविदा रद्द किया जा सकता है या आवश्यकता नहीं पड़ने पर आपूर्ति आदेश रद्द किया जा सकता है।
14. शर्तों के अनुपालन में शिथिलता, आपूर्ति में देरी या अनियमिता, गुणवत्ता में कमी आदि की स्थिति में अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी/काली सूची में डाला जायेगा एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई किया जायेगा।
15. कोई भी विवाद होने पर निविदा समिति का निर्णय बाध्यकारी होगा।
16. सारी विवाद अररिया न्यायालय के दायरे में होगा।
17. भूसा के गुणवत्ता में संदेह होने पर गुणवत्ता जाँच कराई जा सकती है।
18. आपूर्ति आदेश आवश्यकतानुसार संबंधित अंचलाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया के द्वारा दिया जायेगा जिसका भुगतान उनके द्वारा आपदा मद में प्राप्त आवंटन से किया जायेगा।

SI.NO.	Item	Specification
1	Wheat Straw(Bhusa)	Moisture less than 10% Without Fungus
2	Paddy Straw (Kutti)	Moisture less than 10% Without Fungus

10.7.17
जिला पशुपालन पदाधिकारी,
अररिया।

10/7/17
जिला पदाधिकारी
अररिया